प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल नाई पुत्र श्री अजीमुल्ला,निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-05.06.2020) दिनांक-03.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल नाई पुत्र श्री अजीमुल्ला, चॉदपुर, थाना-हरगांव, जिला- सीतापुर का निवासी है। **(I)** बंदी ने दिनांक 27.11.2002 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-386/2004 धारा-147,148,302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 04.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2020 तक 17 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 07 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **(II)** बंदी द्वारा दिनांक 14.06.1999 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-26/2000 धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 सं0-6,लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 25.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2020 तक 19 वर्ष 07 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19.01.2019 में जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिस के कारण दिनांक 27.11.2002 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाग देखने गये रामपाल वर्मा नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने एवं दिनांक 14.06.1999 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अलीरजा नामक व्यक्ति की तमंचे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन, जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इकबाल नाई पुत्र श्री अजीमुल्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इकबाल नाई (बन्दी संख्या-122/13) पुत्र श्री अजीमुल्ला, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-427/2020/719(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-427/2020/719/22-2-2020-17(31)/2014

दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल नाई पुत्र श्री अजीमुल्ला, चॉदपुर, थाना-हरगांव, जिला- सीतापुर का निवासी है। (I) बंदी ने दिनांक 27.11.2002 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-386/2004 धारा-147,148,302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 04.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2020 तक 17 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 07 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। (II) बंदी द्वारा दिनांक 14.06.1999 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-26/2000 धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 सं0-6,लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 25.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2020 तक 19 वर्ष 07 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19.01.2019 में जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिस के कारण दिनांक 27.11.2002 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाग देखने गये रामपाल वर्मा नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने एवं दिनांक 14.06.1999 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अलीरजा नामक व्यक्ति की तमंचे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इकबाल नाई पुत्र श्री अजीमुल्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in